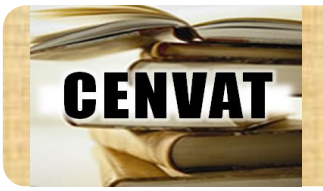

अध्याय VIII
सेनवेट क्रेडिट

8. सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4 की निबन्धों के अनुसार, कर योग्य सेवाओं का प्रदाता इनपुटों और पूंजीगत माल पर दत्त उत्पाद शुल्क और इनपुट सेवा पर दत्त सेवा कर पर क्रेडिट ले सकता है। कुछ शर्तें पूरी करके क्रेडिट को सेवा कर के भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

हमने देखा कि 41 मामलों में सीसीएस,सीओएन और डब्ल्यूसीएस के प्रदाताओं द्वारा ₹ 26.46 करोड़ के कुल सेनवेट क्रेडिट का गलत और ज्यादा उपयोग और प्रयोग किया गया। इन मामलों में ₹ 90.80 लाख का ब्याज और ₹ 5.75 करोड़ की शास्ति भी उद्ग्राह्य थी। विभाग ने ₹ 6.77 करोड़ के राजस्व, से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की ₹ 90.70 लाख की वसूली की और ₹ 6.32 करोड़ के एससीएन जारी किए।

निम्नलिखित पैराग्राफों में कुछ मामले सोदाहरण किए गए हैं:

8.1 अनुपयुक्त इनपुट सेवाएं

सेनवेट क्रेडिट नियमवाली, 2004 के नियम 2(1) के अनुसार "इनपुट सेवा" शब्द को आउटपुट सेवा, प्रदाता के निर्मित ढ़ाचे की स्थापना, आधुनीकीकरण, नवीकरण या मरम्मत करने से सम्बन्धित प्रयोग की गई सेवाएं, विज्ञापन या विक्रय प्रोत्साहन, बाजार अनुसंधान, स्थानांतरण के स्थान तक भंडारण, इनपुटों की अधिप्राप्ति, व्यवसाय से संबंधित गतिविधियां, जैसे कि लेखाकरण, लेखापरीक्षण, वित्त, भर्ती और गुणवत्ता नियंत्रण कोचिंग और प्रशिक्षण, कम्प्यूटर नेटवर्किंग, क्रेडिट रेटिंग, शेयर रजिस्ट्री और सुरक्षा, इनपुटों का अन्तर्मुखी परिवहन शामिल हैं।

चैन्नई एसटी कमिश्नरी में, मैसर्स कोन्सोलिडेटड क्नस्ट्रक्शन कोनसोरटियम लिमिटेड ने अप्रैल 2007 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान इनिशियल पब्लिक आफरिंग (आईपीओ) के मामले के संबंध में इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया। यह सेवा, इनपुट सेवा की परिभाषा के अन्तर्गत नही आती और इसलिए "इनपुट सेवा" के अन्तर्गत क्रेडिट के लिए योग्य नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.91 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना अनियमित था।

8.2 पूंजीगत माल पर लिया गया अधिक सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(2)(ए) में अनुबद्ध है कि सुसंगत वित्तीय वर्ष में पूंजीगत माल पर दत्त शुल्क के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत का सेनवेट क्रेडिट और अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में शेष 50 प्रतिशत का सेनवेट क्रेडिट लिया जा सकता है। नियम 14 में प्रावधान है कि जब सेनवेट क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ या उपयोग किया जाए उसकी ब्याज सहित वसूली की जाएगी ।

दिल्ली कमिश्नरी में डब्ल्यूसीएस के अन्तर्गत पंजीकृत मैसर्स शपूरजी पलौंनजी एण्ड कम्पनी और मैसर्स तीरथ राम अहूजा प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2007-08 के दौरान अधिप्राप्त पूंजीगत माल पर दत्त शुल्क के लिए ₹ 1.65 करोड़ के अनुमत क्रेडिट के प्रति ₹ 3.30 करोड़ के पूरे क्रेडिट का लाभ लिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.65 करोड़ के अधिक क्रेडिट का लाभ लिया गया जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य था।

हमारे द्वारा (अगस्त 2008) ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने बताया (फरवरी 2009) कि मैसर्स शपूरजी पलौंनजी एण्ड कम्पनी अगले वित्तीय वर्ष 2008-09 में सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेने की हकदार थी। अतः निर्धारिती से ऐसी कोई मांग नही की जा सकती थी। उत्तर स्वीकार्य नही था। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, आधिक्य भुगतान की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए थी और इसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में क्रेडिट किया जा सकता था। मैसर्स तीरथ राम अहूजा के मामले में अगस्त 2010 में बताया गया कि निर्धारिती को लेखापरीक्षा आपत्ति का अनुपालन करने को कहा गया था।

8.3 इनपुट सेवाओं पर लिया गया क्रेडिट जिसका आउटपुट सेवा हेतु प्रयोग नही किया गया

एक सेवा प्रदाता सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 9 के अन्तर्गत सूचीबद्ध दस्तावेजों के आधार पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ ले सकता है।

मुम्बई एसटी कमिश्नरी में, मैसर्स निटको पेंट्स के अभिलेखों की जांच से पता लगा कि 2005-06 से 2006-07 की अवधि के दौरान ₹ 367.86 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया, जबकि उसी अवधि के दौरान इनपुट पर दिए गए शुल्क के दस्तावेजों के अनुसार निर्धारिती के पास ₹ 289.25 लाख का कुल सेनवेट क्रेडिट उपलब्ध था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 78.61 लाख का सेनवेट क्रेडिट अधिक लिया गया।

इसे हमारे द्वारा बताये जाने पर (अगस्त 2009), विभाग ने सूचित किया (जून 2010) कि फरवरी 2010 में ₹ 78.61 लाख का एक एससीएन जारी किया गया था।

8.4 विलम्बित भुगतानों पर ब्याज

वित्त अधिनियम, 1994 के अनुच्छेद 75 में अनुबद्ध है कि यदि एक व्यक्ति देय कर या उसका कोई भाग निर्धारित अवधि के भीतर क्रेडिट करने में विफल हो जाता है तो उसे प्रचलित दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। वित्त अधिनियम, 1994 के अनुच्छेद 76 में सेवा कर के भुगतान में विफलता के लिए शास्ति लगाने का प्रावधान है।

कोलकाता एसटी कमिश्नरी ,में मैसर्स बीएचईएल के अभिलेखों की जांच से पता लगा कि इसने एनबीसीसी लिमिटेड से प्राप्त सेवाओं पर ₹ 2.50 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया। इसने अक्तूबर 2007 और दिसम्बर 2007 के माह में दो बार इस राशि के लिए इनपुट सेवा पर सेनवेट क्रेडिट लिया। दिसम्बर 2007 के लिए कर भुगतान को दूसरे अनियमित क्रेडिट से समायोजित किया गया। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2007 में ₹ 2.50 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ। इस कम भुगतान का बाद में पता लगा और मार्च 2008 के माह में समायोजित किया गया। तथापि, दिसम्बर 2007 से मार्च 2008 तक सेवा कर के विलम्बित भुगतान के लिए किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। ₹ 7.66 लाख का ब्याज और ₹ 14.34 लाख तक की शास्ति उद्ग्राह्य थी।

8.5 सेनवेट क्रेडिट का स्वीकार्य सीमा से अधिक का लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 में प्रावधान है कि एक सेवा प्रदाता जो इनपुट या इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेता है और दोनो छूट प्राप्त और कर योग्य आउटपुट सेवाएं प्रदान करता है उसको दोनों वर्गों की सेवाओं के संबंध में पृथक खातों का रखरखाव करना होगा यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह केवल उस सीमा तक राशि पर क्रेडिट का लाभ ले सकता है जो आउटपुट सेवाओं पर देय सेवा कर के बीस प्रतिशत से अधिक न हो।

8.5.1 चैन्नई एसटी कमिश्नरी में, मैसर्स कोनसोलिडेटड कन्ट्रक्शन कोनसोरटियम लिमिटेड ने इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया। इसने वर्ष 2007-08 के लिए दोनो कर योग्य और छूट प्राप्त आउटपुट सेवाएं प्रदान की किन्तु पृथक खातों का रखरखाव नही किया। इसने आउटपुट सेवाओं पर लागू सेवा कर के 20 प्रतिशत तक सेनवेट क्रेडिट के लाभ को प्रतिबन्धित नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.49 करोड़ तक के सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ उठाया गया। निर्धारिती ₹ 71.42 लाख के ब्याज और ₹ 5.49 करोड़ तक की शास्ति के भुगतान का भी उत्तरदायी था।

8.5.2 अहमदनगर कमिश्नरी में, मैसर्स राजदीप बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड ने 2006-07 और 2007-08 के दौरान कर योग्य के साथ साथ छूट प्राप्त सेवाएं प्रदान की थी। इसने गलती से इनपुट सेवाएं जैसे टेलिफोन सेवाएं, कोरियर सेवाएं, कानूनी और व्यावसायिक सेवाएं, प्राधिकृत सेवा स्टेशन सेवाएं, किराए पर कैब सेवा, विज्ञापन सेवा इत्यादि पर सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया जोकि नियमानुसार वैद्य इनपुट सेवाएं नहीं थी। ऐसे अस्वीकार्य क्रेडिट की कुल राशि का पता लगाया जाना था और

प्रतिवर्तित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती कर योग्य के साथ छूट प्राप्त सेवाएं प्रदान कर रहा था किन्तु इनपुट सेवाओं के लिए पृथक खातों का रखरखाव नही कर रहा था। अतः निर्धारिती अप्रैल 2005 से मार्च 2008 के दौरान आउटपुट सेवा पर ₹ 15.31 करोड़ की कुल देयता के प्रति ₹ 3.06 करोड़ तक के सेवा कर क्रेडिट का उपयोग करने का हकदार था। निर्धारिती ने ₹ 8.43 करोड़ की राशि के सेवा कर क्रेडिट का उपयोग हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.37 करोड़ का अधिक उपयोग किया गया। निर्धारिति ₹ 5.37 करोड़ के सेवा कर और ₹ 69.84 लाख के ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी था।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (जनवरी 2009), विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2009) कि लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली गयीं थी और अगस्त 2009 में ₹ 5.37 करोड़ के लिए प्रावधानों के अन्तर्गत लागू ब्याज और शास्ति के साथ एससीएन जारी कर दिया था।

8.6 सेनवेट क्रेडिट के शेष का गलत विवरण

कोचीन कमिश्नरी में, मैसर्स स्पेस, इर्नाकुलम, जो सीओएन प्रदान करते थे ने डब्ल्यू एससी में परिवर्तन कर लिया और जून 2007 से इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट लेना प्रारम्भ कर दिया। हमने पाया कि इसने इनपुट सेवाओं पर ₹ 23.83 लाख का सेनवेट क्रेडिट लिया और जून 2007 से सितम्बर 2007 की अवधि के दौरान इसका उपयोग किया। फलस्वरूप, 30 सितम्बर 2007 तक इनपुट सेवाओं का क्रेडिट शून्य था। तथापि, निर्धारिती ने 1 अक्तूबर 2007 तक ₹ 11.58 लाख का अथ शेष दर्शाया और अक्तूबर 2007 से दिसम्बर 2007 के दौरान राशि का उपयोग किया । इस गलत विवरण के परिणामस्वरूप ₹ 11.58 लाख के क्रेडिट का अनियमित उपयोग किया गया जो कि वसूली योग्य था। कम्पनी ₹ 2.25 लाख के ब्याज और ₹ 11.58 लाख तक की शास्ति के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी थी।